न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 99/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

गृहम हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा एवं पूनावाला हाउसिंग फाइनेन्स लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री तरूण शर्मा

पंजीकृत कार्यालयः–602, 6 फ्लोर, जीरो वन, आईटी पार्क, सर्वे नम्बर–79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड़, पुणे 411036

शाखा कार्यालयः–आठवां तल, आई.बी.सी. टॉवर, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रीना देवी**

   प्रथम पताः– वार्ड नम्बर 5, तेजा की ढ़ाणी, ग्राम राजास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान 332317

   द्वितीय पताः–खसरा नम्बर 823/795 ग्राम राजास, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान 332317

2. **भैरू सिंह** वार्ड नं. 5, तेजा की ढ़ाणी, ग्राम राजास, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान 332317

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **रीना देवी व भैरू सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थी के स्वामित्व की **अचल आवासीय सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर पुराना 795/551 नया 823/795 ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 550 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खसरा नं. 551/7, पश्चिम दिशा में शेष भूमि स्वयं की खसरा नं. 795/551, उत्तर दिशा में सड़क जाजोद–बादूसर व स्वयं की भूमि व दक्षिण दिशा में शेष भूमि स्वयं की खसरा नं. 795/551 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर क्रमशः **₹7,15,000/– रूपये (अक्षरे रूपये सात लाख पन्द्रह हजार) व ₹6,30,000/–रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख तीस हजार) कुल ₹13,45,000/–रूपये (अक्षरे रूपये तेरह लाख पैंतालिस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **16.12.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.12.2025** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **रीना देवी व भैरू सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की **अचल आवासीय सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर पुराना 795/551 नया 823/795 ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 550 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खसरा नं. 551/7, पश्चिम दिशा में शेष भूमि स्वयं की खसरा नं. 795/551, उत्तर दिशा में सड़क जाजोद–बादूसर व स्वयं की भूमि व दक्षिण दिशा में शेष भूमि स्वयं की खसरा नं. 795/551 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर